राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांकः पीएस / पीएचएस / 2021 / 67 जयपुर, दिनांक 23 अप्रैल, 2021

आदेश

कोरोना संक्रमण (कोविड–19) से उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष में राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित निजी चिकित्सालय कोरोना संक्रमण से बचाव, रोकथाम, आमजन को आवश्यक चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध कराने की अति महत्वपूर्ण कड़ी है तथा वर्तमान परिपेक्ष में इनकी निर्णायक व महती भूमिका है। इस क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग के आदेश क्रमाक प. 1(1)चिस्वा / ग्रुप–2 / 2020, जयपुर दिनांक 06.04.2021 के तहत विभिन्न कार्य किये जाने हेतु संलग्न सूची के अनुसार नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये है।

उक्त नोडल अधिकारी प्रत्येक दिवस में कम से कम तीन बार (9:00 AM, 2:00 PM व 8:00 PM) चिकित्सालयों में उपलब्ध बैड की उपलब्धता की सूचना विभाग के पॉर्टल http://health.rajasthan.gov.in/RTPCR पर चिकित्सालय के LOGIN से अपलोड करवाना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक नोडल अधिकारी संबंधित चिकित्सालय से कोविड–19 उपचार से संबंधित व्यवस्थाओं हेतु आवश्यक समन्वय व सहयोग उपलब्ध करवायेगें व पोर्टल पर सूचना अद्यतन रखना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त पोर्टल पर उपलब्ध सूचना पब्लिक डोमेन में Real-time-basis पर उपलब्ध करावाई जा रही है। अतः समस्त राजकीय व निजी चिकित्सालय प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त पोर्टल पर चिकित्सालय में उपलब्ध कोविड–19 बैड का डेटा नियमित रूप से प्रतिदिन कम से कम तीन बार (9:00 AM, 2:00 PM व 8:00 PM) अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान।
3. आयुक्त सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान।
6. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान
10. समस्त प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय, राजस्थान।
11. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
12. प्रबन्धक निदेशक, राज. मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि., जयपुर।
13. सम्बंधित अधिकारी।
14. निजी / रक्षित पत्रावली।

सिद्धार्थ

शासन सचिव